खेल से बाहर हो जाएंगे छोटे किसान

खेती-किसानी

धर्मेंद्र कुमार

edit@amarujala.com

यूपीए सरकार ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, जिससे देश के व्यापक हित-अहित को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता सुनील ने विश्लेषण किया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाएंगी। दूसरी कड़ी में छोटे किसानों का दर्द...

मनमोहन सरकार ने खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिसूचना जारी करके विदेशी रिटेल कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को ही नहीं, किसानों को भी फायदा होगा। जबकि ऐसे कई अध्ययन मौजूद हैं, जिससे यह साबित होता है कि खेती के निगमीकरण से किसानों को नुकसान ही हुआ है। अध्ययन बताते हैं कि निगमीकृत आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनकर किसानों को उचित मूल्य हासिल करने के लिए तो जूझना ही पड़ता है, उन्हें जीवन-यापन की परेशानी भी झेलनी पड़ती है।

मैक्सिको के एक अध्ययन में बाईल्स, ब्रेहम, इन्रीको, कैंडिल और मौरगन जैसे अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि खाद्य आपूर्ति शृंखला में बदलाव से छोटे किसानों को आम तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ। अपने देश में भी रिटेल सेक्टर में पहले से मौजूद औद्योगिक घराने सिर्फ बड़े किसानों से ही माल खरीदते हैं। छोटे किसान इनकी खरीद व्यवस्था से बाहर ही हैं। कई अध्ययन बताते है कि कॉरपोरेट रिटेलर एक ओर पारंपरिक थोक बाजार के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो दूसरी ओर छोटे और मंझले किसानों से माल भी नहीं उठाते। हमारे देश में 78 प्रतिशत किसान छोटी जोत के हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। देश की कुल खेतिहर जमीन का 33 प्रतिशत हिस्सा ही इन छोटे किसानों के पास है, जबकि देश का 40 प्रतिशत से ज्यादा खाद्य उत्पादन यही लोग करते हैं। छोटे किसानों की उत्पादकता भी कम नहीं है। साफ है कि कृषि का निगमीकरण छोटे किसानों के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले करीब पांच वर्षों में यह आंकड़ा घटकर 14 फीसदी रह गया है। एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है!

नब्बे के दशक के मध्य में विश्वप्रसिद्ध पर्यावरणविद् लेस्टर ब्राउन ने सवाल उठाया था कि चीन को कौन खिलाएगा? चीन के नेतृत्व ने जवाब दिया था कि 'चीन के किसान ही चीन को खिलाएंगे।' भारत के मामले में यह आज ज्यादा प्रासंगिक है। आजादी के बाद से जिस अनुपात में हमारी आबादी बढ़ी है, खाद्य उत्पादन में भी पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, पर असंतुलित वितरण की वजह से आम लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। आज हम चावल, गेहूं, दाल, दूध, फल एवं सब्जी के बड़े उत्पादक देशों में से हैं, पर सबसे ज्यादा बाल कुपोषण भी यहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे और गर्भवती महिलाएं 'रक्त अल्पता' की शिकार हैं।

ऐसे में यह सवाल जायज है कि भारत को कौन खिलाएगा? इसका जवाब देश के छोटे किसानों के पास ही हो सकता है। पर लगता है कि इन किसानों की किस्मत का फैसला सरकार ने वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के सुपुर्द कर दिया है।

रिटेल में एफडीआई से खेतिहर मजदूरों के हालात में भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। एक अध्ययन में लौरा सांचेच ने पाया कि वॉलमार्ट की वजह से मैक्सिको में खेतिहर मजदूरी में गिरावट हुई है। जिन इलाकों में कॉरपोरेट रिटेल संचालित होते हैं, वहां रोजगार और मजदूरी पर दुष्प्रभाव से गरीबी बढ़ी है। स्टीफेन गोहेट्च और हेमा स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में जहां-जहां वॉलमार्ट है, वहां गरीबी बढ़ी है। स्पष्ट है, विदेशी खुदरा दुकानों से जुड़ने की शर्तें छोटे किसानों के पक्ष में नहीं होती। एक सचाई यह भी है कि सुपर मार्केट आपसी प्रतिस्पर्द्धा से बचते हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सुपर मार्केट उन्हें कम कीमत पर माल बेचने के लिए विवश करते हैं। घाना के कोकोआ उत्पादक किसानों को रिटेल मूल्य का चार फीसदी से भी कम मूल्य मिलता है। वहीं रिटेल मार्जिन 34 फीसदी से ऊपर है। लैटिन अमेरिका के केला उत्पादक किसानों का भी यही हाल है।

बेशक हमारे देश में किसानों को मिलने वाले मूल्य एवं रिटेल मूल्य के अंतर को कम किया जाना चाहिए, लेकिन उसका उपाय खुदरा में विदेशी निवेश नहीं है। दूध में अमूल जैसा सफल सहकारी प्रयोग हो सकता है, तो खाद्य उत्पादों में क्यों नहीं? कॉरपोरेट रिटेल के बजाय मार्केटिंग कोऑपरेटिव को भी दुरुस्त किया जा सकता है। सरकार मान बैठी है कि अनुबंध खेती का लाभ किसानों को होगा, पर याद रखना चाहिए कि पंजाब सरकार को अनुबंधित किसानों के हक के लिए कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी कंपनियों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं दिया।

सरकार का तर्क है कि खाद्य आपूर्ति शृंखला के निगमीकरण से बिचौलिये समाप्त हो जाएंगे, जबकि सचाई यह है कि लाखों छोटे बिचौलियों की जगह बड़ी-बड़ी कंपनियां ले लेंगी। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मानक, पैकेजिंग, लेबलिंग, वितरण करने वाली बड़ी कंपनियां बतौर सलाहकार नए बिचैलिये बनकर उभरेंगी, जिसके पास मोल-भाव की जबरदस्त ताकत होगी।

भारत तमाम तरह के मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है, जिसमें प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात पर लगने वाले शुल्क को खत्म किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप की रियायती खाद्य सामग्री हमारे बाजारों में भी आएगी। इससे किसानों से उनका बाजार छिन जाएगा। जाहिर है, खुदरा क्षेत्र में एफडीआई जैसे फैसले को छोटे किसानों के पक्ष में मोड़ने के लिए तमाम तरह के नियम-कायदों की जरूरत होगी, क्योंकि बेलगाम कंपनियां खेती और खुदरा बाजार में तबाही मचा सकती हैं।

(लेखक इंडिया एफडीआई वाच के निदेशक हैं।)